अब आवासन मंडल भी करेगा आवासीय आरक्षित दर पर लीज राशि की गणना

वाणिज्यिक भूखण्डों पर 5 प्रतिशत और सांस्थानिक व आवासीय भूखंडों पर होगी 2.5 प्रतिशत

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर

आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राजस्थान आवासन मंडल भी जयपुर विकास प्राधिकरण सहित अन्य निकायों की तर्ज पर अब वाणिज्यक, संस्थानिक एवं आवासीय भूखंडों पर लीज राशि की गणना आवासीय आरक्षित दर ही करेगा। इससे वाणिज्यिक भूखंडों के मामलों में एक चौथाई और सांस्थानिक भूखंडों के मामलों में लीज राशि लगभग आधी कम हो जाएगी।

आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि आमजन को राहत देते हुए अन्य निकायों की तरह अब आवासन मण्डल भी केवल आवासीय आरक्षित दर पर ही लीज राशि की गणना करेगा। उन्होंने बताया कि आवासन मंडल में पहले वाणिज्यिक भूखण्डों के आवंटन पर वाणिज्यिक दरों पर लीज राशि वसूल की जाती थी जो कि आवासीय आरक्षित दर

की लगभग 4 गुना तक थी। अब आवासन मंडल ने लीज राशि की गणना के आधार में परिवर्तन किया है और अब वाणिज्यिक भूखंडों के आवंटनों में भी आवासीय आरक्षित दर को आधार लेकर 5 प्रतिशत की दर पर लीज राशि की गणना की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इसी तरह पहले संस्थानिक भूखंडों के आवंटन पर पहले 5 प्रतिशत की दर से लीज राशि की गणना की जाती थी। अब सांस्थानिक भूखंडों के आवंटन पर 2.5 प्रतिशत की दर से आवासीय आरक्षित दर से लीज राशि पर गणना की जाएगी। लीज राशि की गणना के लिए मंडल ने संशोधित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था, जिसे राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए मंजूरी प्रदान कर दी है।